CGHC010043042020 2026:CGHC:35906-DB

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील क्रमांक–79/2020

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस चौकी–जालबांधा, पुलिस थाना–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/राज्य

विरूद्ध

- दुर्गेश टोण्ड्रे पिता–चेतलाल टोण्ड्रे, उम्र–लगभग 21 वर्ष, निवासी–ग्राम पोटिया, पुलिस चौकी–जालबांधा, पुलिस थाना–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी/अभियुक्त

अपीलार्थी/राज्य द्वारा : श्री विनोद टेकाम, शासकीय अधिवक्ता ।

उत्तरवादी/अभियुक्त द्वारा : श्री सिद्धार्थ पाण्डेय सहित सुश्री निष्ठा सिंह, अधिवक्तागण ।

युगल पीठः **माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय अग्रवाल, न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! निर्णय पीठ पर पारित !!

13/08/2026

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.08.14 19:01:47 +0530

द्वारा **संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश**

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1) के अंतर्गत दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत इस अपील में अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक–07/2018, "छत्तीसगढ़ राज्य **विरुद्ध** दुर्गेश टोण्ड्रे" में दिनांक 30/08/2019 को पारित निर्णय की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित न पाए जाने पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–363 एवं 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है । जिसे संक्षेप में "प्रश्नाधीन निर्णय" से संबोधित किया जा रहा है ।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है कि पीड़िता (अ.सा.–2) तथा अभियुक्त दुर्गेश दोनों ग्राम पोटिया के निवासी हैं । पीड़िता कक्षा दसवीं की छात्रा थी । घटना दिनांक 13/03/2018 को वह परीक्षा देने जालबांधा हाईस्कूल गई थी । परीक्षा समाप्त होने के पश्चात जब वह साइकिल से अपने ग्राम वापस आ रही थी, तब शेरगढ़ मोड़ के पास अभियुक्त ने उसे रोका तथा उसके साथ खैरागढ़ घूमने जाने के लिए कहा और जिद करने लगा । तत्पश्चात पीड़िता अपने घर गई, वहां से तैयार होकर शेरगढ़ मोड़ पर वापस आई और अभियुक्त के साथ बस में बैठकर चली गई । अभियुक्त पहले उसे अपनी मौसी के घर बांधवरद लेकर गया, जहां दोनों रात्रि में रुके । अगले दिन दिनांक 14/03/2018 को प्रातः लगभग 06:00 बजे वे डोंगरगढ़ गए और वहां रेलवे स्टेशन पर रात्रि में रुके । तत्पश्चात दिनांक 15/03/2018 को प्रातः लगभग 04:00 बजे ट्रेन से नागपुर गए, जहां अभियुक्त उसे अपनी मां के पास ले गया । अभियुक्त की मां कुमारी टोण्ड्रे उसी दिन रात्रि

लगभग 08:30 बजे पीड़िता एवं अभियुक्त को ट्रेन से दुर्ग स्टेशन लेकर आई तथा दिनांक 16/03/2018 को जालबांधा पुलिस चौकी पहुंचकर पीड़िता को प्रस्तुत किया । इसके पूर्व ही पीड़िता की मां की सूचना पर दिनांक 13/03/2018 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जा चुकी थी । अभियुक्त की मां द्वारा पीड़िता को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसकी बरामदगी का पंचनामा प्रदर्श पी–8 तैयार किया गया । पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा चिकित्सक द्वारा तैयार स्लाइड को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन दर्ज किए गए । पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में अंकसूची एवं दाखिल–खारिज पंजी जब्ती की गई । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में 16 साक्षियों का परीक्षण तथा 40 दस्तावेज प्रदर्श चिन्हांकित कराए गए । धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अभियुक्त ने अपने विपरीत साक्षियों के कथनों को इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तब उभयपक्ष को सुना जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है ।

4. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि पीड़िता (अ.सा.–2) ने अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है, जिसकी पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों से भी होती है । विद्यालय के शिक्षक दामोदर प्रसाद (अ.सा.–10) ने पीड़िता की दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी–18 को प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 12/07/2001 है । उक्त जन्मतिथि के अनुसार

घटना दिनांक 13/03/2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य पर विश्वास न करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है । अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला प्रमाणित है । अतः प्रश्नाधीन दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार की जाए तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर विधि के अनुसार दण्डित किया जाए ।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया है कि पीड़िता की जन्मतिथि किसी विश्वसनीय एवं स्पष्ट साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुई है । चिकित्सक लीला रामटेके (अ.सा.–9) द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में प्रस्तुत एक्स–रे जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–17 में उसकी आयु 15 से 17 वर्ष के मध्य बताई गई है तथा उसमें दो वर्ष की कमी अथवा वृद्धि की संभावना है । इस प्रकार घटना दिनांक को पीड़िता के 18 वर्ष से कम आयु की होने का तथ्य अभियोजन प्रमाणित नहीं कर सका है । इसके अतिरिक्त, पीड़िता के आचरण एवं स्वयं उसके कथनों से यह परिलक्षित होता है कि वह अभियुक्त के साथ सहमत पक्ष रही है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निष्कर्ष पूर्णतः उचित है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । फलतः अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

6. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।

7. न्यायदृष्टांत **Mallappa and other v. State of Karnataka, (2024) 3 SCC 544** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निराकरण हेतु कुछ

न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं । जिसमें साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन, दो संभावित दृष्टिकोणों की स्थिति में अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाए जाने तथा विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में अवैधता, विकृति अथवा विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि पाए जाने पर ही हस्तक्षेप किए जाने के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं ।

8. चिकित्सक लीला रामटेके (अ.सा.–9) ने पीड़िता की आयु संबंधी एक्स–रे जांच के आधार पर प्रतिवेदन प्रदर्श पी–17 प्रस्तुत किया है, जिसमें पीड़िता की आयु 15–17 वर्ष के मध्य आंकी गई है । उक्त चिकित्सीय आयु–निर्धारण में दो वर्ष की कमी अथवा वृद्धि की संभावना भी विद्यमान है । अतः उक्त प्रतिवेदन को अपने आप में घटना दिनांक को पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता ।

9. सर्वप्रथम पीड़िता की आयु के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा । अभियोजन का मुख्य आधार पीड़िता की जन्मतिथि 12/07/2001 होने का है, जिसके आधार पर घटना दिनांक 13/03/2018 को उसकी आयु 18 वर्ष से कम बताई गई है । इस संबंध में पीड़िता के पिता (अ.सा.–1) तथा माता (अ.सा.–7) के कथनों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है । दोनों ही साक्षी न्यायालयीन कथन में पीड़िता की जन्मतिथि स्पष्ट रूप से बता पाने में असमर्थता रहे हैं । उन्होंने ऐसा भी कोई कथन नहीं किया है कि विद्यालय में प्रवेश के समय उन्होंने स्वयं पीड़िता की उक्त जन्मतिथि बताई थी । पीड़िता के शाला के शिक्षक दामोदर प्रसाद ने दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श पी–18 में पीड़िता की जन्मतिथि 12/07/2001 दर्ज होना बताया है । ऐसी स्थिति में दाखिल–खारिज पंजी में अंकित जन्मतिथि की विश्वसनीयता का परीक्षण आवश्यक हो जाता है ।

10. न्यायदृष्टांत **Manak Chand alias Mani v. State of Haryana, (2024) 20 SCC 561** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयीन अभिलेख में अंकित जन्मतिथि की साक्ष्यात्मक महत्ता के संबंध में पूर्व में प्रतिपादित विधि को दोहराया गया है, जो कण्डिका–18 एवं 19 में निम्नानुसार हैः–

> **"18.** This Court in Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit (1988) Supp SCC 604 had observed that the date of birth in the register of a school would not have any evidentiary value without the testimony of the person making the entry or the person who gave the date of birth.
>
> 14. …The date of birth mentioned in the scholar's register has no evidentiary value unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined. The entry contained in the admission form or in the scholar's register must be shown to be made on the basis of information given by the parents or a person having special knowledge about the date of birth of the person concerned. If the entry in the scholar's register regarding date of birth is made on the basis of information given by parents, the entry would have evidentiary value but if it is given by a stranger or by someone else who had no special means of knowledge of the date of birth, such an entry will have no evidentiary value.
>
> **19.** In our opinion, the proof submitted by the prosecution with regard to the age of the

> prosecutrix in the form of the school register was not sufficient to arrive at a finding that the prosecutrix was less than sixteen years of age, especially when there were contradictory evidences before the Trial Court as to the age of the prosecutrix. It was neither safe nor fair to convict the accused, particularly when the age of the prosecutrix was such a crucial factor in the case."

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Alamelu and another v. State represented by Inspector of Police, (2011) 2 SCC 385** में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> "the transfer certificate which is issued by a government school and is duly signed by Headmaster would be admissible in evidence u/s 35 of the Evidence Act, 1872. However, the admissibility of such a document would be of not much evidentiary value to prove the age of the prosecutrix in the absence of the material on the basis of which the age was recorded. The Supreme Court held under the facts and circumstances of the case that the date of birth mentioned in the transfer certificate would have no evidentiary value unless the person, who made the entry or who gave the date of birth is examined."

12. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Birad Mal Singhvi Vs. Anand Purohit, AIR 1988 SC 1796** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> "to render a document admissible under Section 35, three conditions must be satisfied, firstly, entry that is relied on must be one in a public or other official book, register or record, secondly, it must be an entry stating a fact in issue or relevant fact; and thirdly, it must be made by a public servant in discharge of his official duty, or any other person in performance of a duty specially enjoined by law.

> An entry relating to date of birth made in the school register is relevant and admissible under Section 35 of the Act but the entry regarding to the age of a person in a school register is of not much evidentiary value to prove the age of the person in the absence of the material on which the age was recorded."

13. दाखिल–खारिज रजिस्टर को किस प्रकार प्रासंगिक माना जाता है, यह प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायदृष्टांत **Babloo Pasi v. State of Jharkhand and another (2008) 13 SCC 133,** के मामले में विचारार्थ आया, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> **"22.** It is well settled that it is neither feasible nor desirable to lay down an abstract formula to determine the age of a person. The date of birth is to be determined on the basis of material on record and on appreciation of evidence adduced by the parties. The Medical evidence as to the age of a person, though a very useful guiding factor, is not conclusive and has to be considered along with other cogent evidence.
>
> **28.** It is trite that to render a document admissible under Section 35, three conditions have to be satisfied, namely: (i) entry that is relied on must be one in a public or other official book, register or record; (ii) it must be an entry stating a fact in issue or a relevant fact, and (iii) it must be made by a public servant in discharge of his official duties, or in performance of his duty especially enjoined by law. An entry relating to date of birth made in the school register is relevant and admissible under Section 35 of the Act but the entry regarding the age of a person in a school register is of not much evidentiary value to prove the age of the person in the absence of the material on which the age was recorded. **(**See: Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit (1997) 4 SCC 24**)."**

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Sunil v. State of Haryana (2010) 1 SCC 742** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "**26.** Bishan, PW8, the father of the prosecutrix has also not been able to give correct date of birth of the prosecutrix. In his statement he clearly stated that he is giving an approximate date without any basis or record. In a criminal case, the conviction of the appellant cannot be based on an approximate date which is not supported by any record. It would be quite unsafe to base conviction on an approximate date.
>
> **34.** On consideration of the totality of the facts and circumstances of this case, it would be unsafe to convict the appellant when there are so many infirmities, holes and lacunas in the prosecution version. The appellant is clearly entitled to benefit of doubt and consequently the appeal filed by the appellant deserves to be allowed. The appellant is directed to be released forthwith, if not required in any case."

15. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में विचाराधीन मामले में आये साक्ष्य पर विचार करना होगा । यह महत्वपूर्ण है कि दाखिल–खारिज पंजी प्रदर्श पी–18 को प्रमाणित करने वाले शिक्षक दामोदर प्रसाद (अ.सा.–10) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त पंजी में जन्मतिथि का इंद्राज उनके हस्तलेख में नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त इंद्राज उसके समक्ष नहीं किया गया था, जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा जन्मतिथि किस व्यक्ति द्वारा बताई गई, यह भी वह नहीं बता सकता । ऐसी स्थिति में पंजी में जन्मतिथि अंकित होने से उसके सही होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

16. इस प्रकार, उपरोक्त न्यायदृष्टांत एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, पीड़िता की जन्मतिथि 12/07/

2001 को विश्वसनीय एवं संदेह से परे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहा है । चिकित्सीय साक्ष्य भी पीड़िता की आयु को निश्चित रूप से 18 वर्ष से कम प्रमाणित नहीं करता है । अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 13/03/2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी ।

17. अब पीड़िता के स्वयं के कथनों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है । पीड़िता के पिता (अ.सा.–1), माता (अ.सा.–7) एवं चचेरी बहन (अ.सा.–15) के कथनों से यह तथ्य सामने आता है कि पीड़िता अपने घर में किसी को जानकारी दिए बगैर चली गई थी । चचेरी बहन (अ.सा.–15) ने यह भी कहा है कि पीड़िता भाग गई थी । इन परिस्थितियों का मूल्यांकन पीड़िता के स्वयं के न्यायालयीन कथन के साथ किया जाना आवश्यक है ।

18. स्वयं पीड़िता (अ.सा.–2) ने कहा है कि जब अभियुक्त ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तब वह उसके साथ बस में बैठकर गई थी । पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया है कि विद्यालय से लौटने के बाद वह अपने घर पोटिया गई, वहां से तैयार होकर अकेले शेरगढ़ मोड़ पर आई और वहां से अभियुक्त के साथ चली गई । वे पहले बांधवरद गए, उसके बाद डोंगरगढ़ और फिर नागपुर गए । इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के साधनों, अर्थात् बस एवं ट्रेन का उपयोग किया । पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जब वह अभियुक्त के साथ सार्वजनिक स्थानों पर बस एवं ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तब उसने किसी व्यक्ति से यह शिकायत नहीं की कि अभियुक्त उसके साथ कोई जोर–जबरदस्ती कर रहा है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि नागपुर में उसके माता–पिता तथा उसकी दीदी उपस्थित थे, किंतु उसने उनसे संपर्क करने अथवा सहायता मांगने का कोई प्रयास नहीं किया ।

19. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य प्रमाणित नहीं होता, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने पीड़िता को बलपूर्वक अपने साथ ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित किया था । इसके विपरीत, पीड़िता के कथन एवं आचरण से अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाने तथा विभिन्न स्थानों पर उसके साथ रहने एवं यात्रा करने की परिस्थितियाँ परिलक्षित होती हैं । जो उसके सहमत पक्ष होने को इंगित करता है ।

20. संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन, पीड़िता के 18 वर्ष से कम आयु के होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है । पीड़िता का सहमत पक्ष होना परिलक्षित हुआ है । ऐसी दशा में, विचारण न्यायालय द्वारा जो दोषमुक्ति का निष्कर्ष अंकित किया गया है वह अभिलेख में उपलब्ध तथ्य और साक्ष्य के विपरीत या विरोधाभासी नहीं है तथा प्रश्नाधीन दोषमुक्ति के निर्णय में कोई अवैधता या अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती । इसलिए उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी जाती ।

21. अतः दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से **खारिज** की जाती है ।

22. निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक वापस प्रेषित हो ।

सही/–
(संजय अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन